कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522–2288655

पत्रांक : 6148/अ–7/टी0जी0–2(वि0)/सीधी भर्ती/2016 दिनांक : 27/12/2016

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के पत्रांक 1494–विसेआ/12/विसेआ/2015/टी0जी0–2/623 (संशोधित) दिनांक 19.12.2016 द्वारा प्रेषित, विज्ञापन संख्या 12/विसेआ/2015/टी0जी0–2/623 (संशोधित) के विरूद्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के लिए टेक्नीशियन ग्रेड–।। (प्रशिक्षु) विद्युत के अन्तिम रूप से चयन कर परिणाम उपलब्ध कराये गये 503 अभ्यर्थियों को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में विभिन्न निगमों में सीधी भर्ती के नवसृजित रिक्त पदों के विरूद्ध वेतन बैण्ड–1 में वेतनमान रू0 5200–20200 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2600 (अन्य भत्ते उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में लागू नियमानुसार) तथा वर्णित सेवा शर्तो एवं अन्य प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा नियुक्ति हेतु संलग्नकानुसार आवंटित किया जाता है।

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को विभिन्न खण्डों में टी0जी0–।। (प्रशिक्षु) विद्युत के सीधी भर्ती के नवसृजित रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने स्तर से विभिन्न खण्डों को **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 441–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/16–2–प्र0सु0/2003 दिनांक 27.08.2016 के अन्तर्गत उपकेन्द्र परिचालन एवं परीक्षण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाएगा** एवं सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा उनकी नियुक्ति यथासम्भव उनके गृह जनपद में इस प्रकार की जाएगी कि उनकी तैनाती उस उपखण्ड में न हो जहाँ पर उनका गृह स्थान स्थित है।

2. **प्रशिक्षण** :– उपरोक्तानुसार नियुक्ति के पश्चात् एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिया जायेगा जिसकी सूचना निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा सीधे टी0जी0–।। (प्रशिक्षु) के तैनाती इकाई (डिस्काम/केस्को/ट्रान्सको) से सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को दी जायेगी। प्रशिक्षण के उपरान्त अभ्यर्थियों का मूल्यांकन असन्तोषजनक पाये जाने पर इनका प्रशिक्षण 1 माह और बढ़ा दिया जायेगा। इसके बाद भी सन्तोषजनक न पाये जाने पर टेक्नीशियन ग्रेड–।। (विद्युत) प्रशिक्षु के पद पर उनको दी गयी नियुक्ति निदेशक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की संस्तुति पर सम्बन्धित डिस्काम/केस्को/ट्रान्सको के सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त भी की जा सकती है। उपरोक्त प्रशिक्षण के दौरान उन्हें टेक्नीशियन ग्रेड–।। (प्रशिक्षु) विद्युत के पद हेतु नियमानुसार अर्ह वेतन एवं अन्य भत्ते देय होगें।

3. सेवा विनियमावली की धारा 23 (1) के अनुसार इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थी कुल 2 वर्ष के परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रहेंगे एवं इन पर परिचालकीय कर्मचारी सेवा विनियमावली 1995 यथा संशोधित के अन्य समस्त प्राविधान एवं शर्तें लागू होगी।

........2

4. विभिन्न डिस्कामों/केस्को/ट्रान्सकों को आवंटित टी0जी0–।। (प्रशिक्षु) विद्युत की वरिष्ठता (seniority) उनकी तैनाती इकाई (डिस्कामों/केस्को/ट्रान्सकों) के सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक द्वारा विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली मेरिट लिस्ट के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

5. सचिव, विद्युत सेवा आयोग के पत्रांक 1494–विसेआ/12/विसेआ/2015/टी0जी0–2/623 (संशोधित) दिनांक 19.12.2016 के अनुपालन में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि (1) आवेदन पत्र पर लगी फोटो, हस्ताक्षर, अँगूठा निशान, प्रवेश पत्र पर लगे फोटो, हस्ताक्षर अँगूठा निशान आदि आपस में मेल खाते हैं। (2) संगत सेवा विनियम में निहित प्राविधानों का अनुपालन तथा अभ्यर्थियों के अभिलेखों की मूल प्रमाणपत्रों से जॉच अपने स्तर पर कराना समीचीन होगा। (3) अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों की सम्बन्धित संस्था से प्रमाणिकता की जॉच नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)

संख्या : 6148/अ–7/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उन्हें आवंटित अभ्यर्थियों की, विद्युत सेवा आयोग से प्राप्त समस्त अभिलेखों सहित मूल पत्रावली इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन खण्डों के अधिशासी अभियन्ता को उनके खण्डों में टी0जी0–।। (प्रशिक्षु) विद्युत के सीधी भर्ती के नवसृजित रिक्त पदों के विरूद्ध उपरोक्तानुसार एवं संलग्न प्रारूप की अनुरूपता में उक्त प्रस्तर–5 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये नियुक्ति पत्र यथाशीघ्र निर्गत करने का कष्ट करें।

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचॅल/दक्षिणाचॅल/पश्चिमॉचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, वाराणसी, आगरा एवं मेरठ को क्रमशः 115, 103, 65 एवं 124 अदद मूल पत्रावलियॉ।

2. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर को 16 अदद मूल पत्रावलियॉ।

3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशंन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ, को 80 अदद मूल पत्रावलियॉ।

संलग्नक : यथोपरि।

27.12.16
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता (मु0)
कृते मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)

27-12-2016

संख्या : 6148/अ–7/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता (मु0)
कृते मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)

संख्या : 6148/अ–7/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ को उनके पत्रांक 1494–विसेआ/12/विसेआ/2015/टी0जी0–2/623 (संशोधित) दिनांक 19.12.2016 के संदर्भ में प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता (मु0)
कृते मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)